राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

कमांक प.6(10)वित्त/अंकेक्षण/2015 जयपुर, दिनांक : 13-7-2017

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव
राजस्थान, जयपुर।

परिपत्र

विभागीय आंतरिक जॉच के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर परिपत्र जारी किये जाते रहे है। उक्त परिपत्रों द्वारा जो कार्य क्षेत्र निर्धारित किया गया था वह समय के अनुसार मौद्रिक मूल्यों में वृद्धि तथा उपापन संबंधी नियमों में हुये परिवर्तन के संदर्भ में निरीक्षण विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा संपादित की जाने वाली आंतरिक जॉच के संबंध में निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते है:–

क्र0 सं0	विवरण	आंतरिक जांच का कार्य क्षेत्र
1.	समर्थित वाउचर, प्राप्तियां एवं भुगतान बिलों के साथ रोकड पुस्तिका की जॉच, एन्केशमेन्ट रजिस्टर बिल आवक जावक पंजिका, डिमान्ड ड्राफट तथा मनिआर्डर रजिस्टर की जॉच	100%
2.	उपापन प्रकरणों की जॉच :– (a) जहॉ उपापन मूल्य 2.00 लाख रूपये तक है।	50% (माह मार्च के साथ)
	(b) जहॉ उपापन मूल्य 2.00 लाख रूपये से अधिक है।	100%
3.	आकस्मिक व्यय बिलों, वाउचर आकस्मिक व्यय रजिस्टर सहायक रजिस्टर, स्टाम्प रजिस्टर, यूनिफोर्म रजिस्टर लॉग बुक, ट्रंक काल रजिस्टर की विस्तृत जॉच	मार्च माह तथा अन्य तीन मांह जो प्रभारी लेखाधिकारी द्वारा निर्धारित की जावे की पूर्ण जॉच
4.	वेतन भत्तों के बिल एवं व्यक्तिगत दावों (यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा बिल आदि) की विस्तृत जॉच	20% (माह मार्च के साथ)
5.	अन्य लेखा अभिलेख, सहायक रजिस्टर, अग्रिम संधारण का रजिस्टर, स्टोर के लेखे आदि की जॉच	नमूना जॉच
6.	सेवा पुस्तिकाएं एवं वेतन स्थिरीकरणों की जॉच	नमूना जॉच
7.	बजट अनुमान, बजट आवंटन, व्यय तथा वसूलियों की जॉच	20%
8.	ग्रान्ट इन एड तथा उपयोगिता प्रमाण पत्रों की जॉच	100%
9.	अंकेक्षण वसूलियों, सूचना के अधिकार तथा न्यायालय के आदेश के तहत सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी से वसूली की जॉच	100%
10.	राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन और स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) अधिनियम 1999 के प्रकरण	100%
11.	अन्य लेखे एवं अभिलेख (विभाग की प्रकृति के अनुसार)	नमूना जांच

संबंधित विभाग के लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी/निदेशक, निरीक्षण विभाग पर उक्त निर्देशों की पालना करवाये जाने की जिम्मेदारी होगी। आंतरिक जॉच की अवधि तथा अंतराल संबंधित प्रशासनिक विभाग की सहमति से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। विभाग के कार्यक्षेत्र, कार्य की प्रकृति आदि को ध्यान में रखते हुए आन्तरिक जॉच अवधि तथा अन्तराल वार्षिक, द्विवार्षिक रखे जा सकते हैं।

(देवेन्द्र भूषण गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
वित्त विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीया मुख्यमंत्री जी।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा)(वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा)/ (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष को भेजकर लेख है कि वे अपने अधीनस्थों को भी परिपत्र के निर्देश ध्यान में लाने का कष्ट करें।
6. समस्त संयुक्त शासन सचिव/ उप शासन सचिव, वित्त विभाग।
7. निदेशक, निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि परिपत्र के निर्देश विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थापित सभी वरिष्ठतम लेखा सेवा अधिकारियों के ध्यान में लाने का कष्ट करें।
8. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इसे वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करे।

(डॉ0 अरविन्द कुमार मिश्र)
संयुक्त शासन सचिव